

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/सी.पी.एस./2018/109


दिनांक:- 06.02.2018

-: आदेश :-

विभाग द्वारा सी.पी.एस. 2016 हेतु आदेश क्रमांक राजपत्रित/सी.पी.एस./2018/91 दिनांक 01.02.2018 में जारी किये गये आदेशों में कार्यग्रहण की अंतिम तिथि 07.02.2018 के स्थान पर 12.02.2018 तक बढ़ाई जाती है।

चुकि कोर्स दिनांक 01.03.2018 को प्रारम्भ होना है ऐसे में सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है की उक्त कोर्स के तहत कार्यग्रहण करने वाले चिकित्सकों से तब तक अन्य चिकित्सकों की भाँति कार्य लेना सुनिश्चित करें।

आदेश क्रमांक राजपत्रित/सी.पी.एस./2018/91 दिनांक 01.02.2018 में उल्लेखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।



निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वा.सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: राजपत्रित/सी.पी.एस./2017/109

दिनांक 6/2/018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक (प.क./ई.एस.आई./एड्स/एमएसयू), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कॉउन्सिल, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान।
10. डिप्टी रजिस्ट्रार, सी.पी.एस. मुम्बई।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी।
12. सम्बन्धित सेवारत/गैर चिकित्सक सी.पी.एस. 2016
13. आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वा.सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

✓ H.C. Seva Room